607 [redacted]

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the** 10 **-03-2021**

Order

Sub:- **Diversion of 1.7080 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Airla-Jandrah Road, within the jurisdiction of Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-1280/2001-आर.ओ.सी./421दिनांक 24/05/2019 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.7080** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करतें हैं :–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपरण प्रस्ताव के अनुसार Gheen and UP 242 K Jandrah C 5 में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 8.544 हे0 वन भूमि पर सी.ए. (3.416 हे0) एवं पेनल सी.ए. (5.1280 हे0) हेतु वृक्षारोपण एवं उसका रख–रखाव किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रसतावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/ स्टॉफ के लिये किसी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाऐगा।
5. प्रयोक्ता अभिकारण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/ कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
7. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप plantation जाएगी।
8. The Final order is being issued as per the directions/ orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071,121109,130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N Godavarman Thirumulpad Vs. UoI & Ors.
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

Contd/-2

S/FCA

आवती सं 5206
दिनांक 17/03/21

APCCF (FCA)
16/3

10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 91 trees से अधिक न हो।
11. .प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमाकंन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
12. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
13. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
14. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 10 **-03-2021**
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3 The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4 The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5 The Deputy Commissioner Kangra Distt., Kangra, Himachal Pradesh.
6. DFO Dharamshala Forest Division Distt.,Dharamshala H.P.
7 The Ex-Engineer PWD Dharamshala , Distt. Dharamshala HP
8 Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 10-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-3/2021 Dated Shimla-171002, the 28 -06-2021

Order

Sub:- **Diversion of 0.734 hectare of forest land in favour of M/s Himalayan Hydro Project Kullu, House No. 123, Ward No. 4 Raghunathpur, Tehsil & District Kullu, HP for the construction of 1.20 MW Phindri Small Hydro Power Project, within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, Himachal Pradesh.(online no. FP/HP/HYD/37714/2018)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HP/01/107/2019/FC/77 दिनांक 10/11/2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.734** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करतें हैं :–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**

क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1468 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 03 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे ।
5. Nodal Officer-cum-APCCF(FCA) O/o PCCF(HoFF) H.P. Talland Shimla vide his letter No. Ft. 48-3882/2019 (FCA) dated 22-04-2021 which is addressed to Dy. Director General of Forest (Central), MoEF,GoI has informed that stipulation imposed at Sr. No. 5 has been complied with.
6. एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
7. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, 87648 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
8. अनुमोदित परियोजना के अनुसार जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना लागू की जाएगी।
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण जलाशय की परिधि के साथ वनीकरण का कार्य करेगा।

Contd./2

Joint Secretary (Forests)
Govt. of Himachal Pradesh

APCCF(FCA)

PCCF(HoFF)
29/6/21

आवती सं 702
दिनांक 02/07/21

केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले –आउट प्लान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

12 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

13 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

14 संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकित किया जाएगा।

15 परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री की परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

16 इस अनुमोदन में प्रत्यार्वतन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

17 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य वन विभाग परियोजना पर लागू सभी कानूनी आदेशों, प्रावधानों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगे।

18 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

19 प्रयोक्ता अभिकरण वानिकी संबंधित गतिविधियों/परियोजनाओं हेतु मुफ्त जल उपलब्ध कराएगा।

20 भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं की जाएगी।

21 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी।

22 प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार से मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

23 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

24 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।

24 A lease-deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector-cum-Dy. Commissioner, Kullu Distt. Kullu, H.P.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वियन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाएगा।

Contd./3

Joint Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No **FFE-B-F(2)-3/2021** Dated, Shimla-171001 the, 28 **-06-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1 Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3 The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4 The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5 The Deputy Commissioner, Kullu, Distt., Kullu, Himachal Pradesh.
6. DFO Kullu Forest Division, Distt., Kullu H.P.
7 M/s Himalayan Hydro Project Kullu, House No. 123, Ward No. 4 Raghunathpur, Tehsil & Distt. Kullu, H.P.
8 Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 28-6-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

3421

File No:- FFE-BF(2)-3/2021 **Dated Shimla-171002, the** 01/06/2021

Order

Sub:- **Diversion of 0.2880 hectare of forest land for the construction of Bus Stand at Jalog in favour of Regional Manager, H.P. Bus Stand Management & Development Authority Shimla, H.P. within the the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla, H.P.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/09/16/2017/FC/2703 dated 24-02-2020** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में विशेषता **0.2880 ha** वन भूमि को **Regional Manager, H.P. Bus Stand Management & Development Authority Shimla, H.P.** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैः–

1 वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

2 परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

3 **प्रतिपूरक वनीकरण**

क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 490 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी ।

4 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिसकी स0 प्रस्ताव के अनुसार 49 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता आभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

5 वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करेगा।

7 संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण उपलब्ध आबटित क्षेत्र मे वृक्षों का संरक्षण एवं लोकल प्रजातियों का रोपण करेगें।

Kirne 28/6/2021

8 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिवर स्थापित नहीं किया जाएगा।

9 प्रयोक्ता अभिकरण मजदूरों एवं योजना स्थल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को लकडी विशेषतः वैक्ल्पिक ईधन प्रदान करेगा, ताकि निकटवर्ती वनों का क्षति न पहुचे।

10 This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

11 संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

12 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में दर्शाए गए विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

Contd./2

13 केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसियों, विभाग या व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

14 आसपास के क्षेत्रों में वनों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, यह सुनिश्चित करने हेतु संबंधित प्रभागिय वन अधिकारी आवश्यक मितव्ययी उपाय करेगे एवं निगरानी करेगे।

15 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार परियोजना के लिए सभी कानूनी आदेशों, प्रावधानों के नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

16 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या तो 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

17 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी। राज्य सरकार उपरोक्त समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करेगे।

18 A lease- deed of the above diverted forest land shall be executed by the User Agency with Collector-cum-Dy. Commissioner, Shimla, Distt. Shimla, H.P.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No **FFE-B-F(2)-3/2021** Dated, Shimla-171001 the, 01/06/**-2021**
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1 Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3 The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4 The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5 The Deputy Commissioner, Shimla, Distt., Shimla, Himachal Pradesh.
6. DFO Shimla Forest Division, Distt., Shimla H.P.
7 The Regional Manager, H.P.Bus Stand Management & Development Authority Shimla, H.P.
8 Guard File.

(Sat Pal Dhiman)
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

S/PCA
आवती सं 579
दिनांक 23/6/21

3353

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-BF(2)-3/2021 **Dated Shimla-171002, the 01/06/2021**

Order

Sub :- **Diversion of 0.32 ha of forest land in favour of HP Bus Stand Management Authority for the construction of Office & Workshop HRTC Karsog, within the jurisdiction of Karsog Forest Division, Distt. Mandi, HP.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HPB/09/61/2016/558** **dated 26-06-2018** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में विशेषता **0.32 ha** वन भूमि को **HRTC** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:–

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

2 प्रयोक्ता ऐजेंसी से प्राप्त धनराशि से वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवम् 07–10 वर्षो तक रख–रखाव किया जाएगा।

3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

6 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

7 निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानो पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख मे उपयुक्त प्रजाति के पौधों का Plantation किया जायेगा।

8 Nodal Officer-cum-CCF(FCA) vide his office letter No. Ft.48-3353/2016(FCA) dated 12-06-2019 has informed that stipulation No. 8 imposed by MoEF&CC, GoI vide above referred letter has been complied.

9 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

10 प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का काटन/पातन नहीं किया जाएगा।

11 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर.सी.सी स्तम्भ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।

12 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोटेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी/ प्राधिकारी स आवश्चक पर्यावरण मंजूरी यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।

Contd./2

13 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

14 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं,तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

15 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

16 A lease- deed of the above diverted forest land shall be executed by the User Agency with Collector-cum-Dy. Commissioner, Mandi, Distt. Mandi, H.P.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. No **FFE-BF(2)-3/2021** Dated, Shimla-171001 the, 01/06/**2021**

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3 The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4 The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5 The Deputy Commissioner, Distt., Mandi, Himachal Pradesh
6 DFO Karsog Forest Division, Distt., Mandi H.P.
8 Regional Manager, HRTC Karsog, Distt. Mandi, HP.
9 Guard File.

(Sat Pal Dhiman)
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

आवती सं 580
दिनांक 23/6/21

3714

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2021 Dated Shimla-171002, the -06-2021

Order

Sub :- Diversion of 0.8052 ha of forest land in favour of HPPTC Limited for the construction of 33/132/220 KV GIS Sub Station Mazra at Pukhari, within the jurisdiction of Chamba Forest Division, Distt.Chamba, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/04/45/2018/FC/2294 dated 16-01-2020** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में **0.8052** हैक्टेयर वन भूमि को **HP Power Transmission Corporation Limited,** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:–

1 वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

2 प्रयोक्ता ऐजेसी से प्राप्त धनराशि से वन विभाग द्वारा 805 वृक्षों का रोपण किया जाएगा एवम् उसके 7–10 वर्षो तक रख–रखाव किया जाएगा।

3 This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।

5 शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

6 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों के अनुसार एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

7 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

8 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

9 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

Contd/2

FCA
APCCF (...)
PCCF (HOFF)
29/6/21

निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरांत जहां–जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग की देख–रेख में उपयुक्त प्रजाती के पौधों का रोपण किया जाएगा।

11 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा

12 कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 65 trees से अधिक न हो।

13 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।

14 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी/प्राधिकरण से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।

15 परियोजना निर्माण में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय अधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

16 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्त्ता एजेंसी की जिम्मवारी होगी।

17 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

18 A lease- deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Chamba, H.P.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदश सरकार शिमला –2

Endst. No. **FFE-B-F(2)-3/2021** Dated, Shimla-171001 the, **28-06-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1 Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.

2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.

3 The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.

4 The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.

5 The Deputy Commissioner, Chamba, Distt., Chamba, Himachal Pradesh.

6. DFO Chamba Forest Division, Distt., Chamba H.P.

7 M/s HPPTC Limited.

8 Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 28-6-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Joint Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh

पावती सं. 701
दिनांक 02/07/21

3860

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2021 Dated Shimla-171002, the 28 -06-2021

Order

Sub :- **Diversion of 0.091 ha of forest land in favour of HPSEB Ltd., for the construction of 33/11KV, 2 x 6.3 MVA Un-manned Sub-Station at Manali, within the jurisdiction of Kullu Wildlife Division, Distt. Kullu, H.P.(online No. FP/HP/VELEC /37863/2018).**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/09/58/2019/FC/1437 dated 30-09-2020** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में विशेषता **0.091 ha** वन भूमि को **HPSEB Ltd.,** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण**

क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 230 पौधों का रोपण कार्य प्रस्ताव के अनुसार दी गयी वनाच्छादित वन भूमि में किया जाएगा। जहां तक सम्भव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचें एवं संबंधित हेतु स्कीम की एक प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें।

ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 23 trees (11 trees and 12 saplings) से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
7. Nodal Officer- cum-APCCF(FCA)O/o PCCF(HoFF) H.P. Talland Shimla vide his letter No. Ft.48-3860/2018(FCA)dated 17-09-2020 which is addressed to Dy. Director General of Forests(Central), MoEF&CC,GoI has informed that stipulation imposed at Sr. No. 7 has been complied with.
8. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A No. 191338 of 2019, IA No. 55071 , 121109, 130847, 87648 of 2020 in WP(C) No.-202/1995 titled as T.N.Godavarman Thirumulpad vs. UoI & Ors.

Kirne
5/7/21

Joint Secretary (Forests)
Govt. of Himachal Pradesh

APCCF(FCA)

आवती सं 704
दिनांक 02/07/21

PCCF(HoFF)
29/6/21

Contd./2

9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

10. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

11. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषताः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

13. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

14. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

15. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

16. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

17. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यावेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से वन विभाग की देख–रेख में ही पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

18. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं,तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना वन विभाग हि0 प्र0 / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42 / 2017–FC दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।

21. A lease-deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector-cum-Dy. Commissioner, Kullu Distt. Kullu, H.P.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

Joint Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदश सरकार शिमला –2

Contd./3

Endst. No **FFE-B-F(2)-3/2021** Dated, Shimla-171001 the, 28 **-06-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Kullu, Distt., Kullu Himachal Pradesh.
6. DFO Kullu Wildlife Division, Distt., Kullu H.P.
7. The Ex-Engineer HPSEB Kullu, Distt. Kullu HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 28-6-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Joint Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh

3471

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-3/2021 **Dated Shimla-171002, the** 9 **-03-2021**

Order

Sub:- **Diversion of 1.80 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kahanu to Pranjan Road (Km. 0/00 to 10/00), within the jurisdiction of Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8बी/एच.पी./06/25/2018/एफ.सी./2699 दिनांक 24/02/2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.80** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 3.60 हे0 गैरवनीय/ पतित वन भूमि D-214 Jhunjan पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें ।
4. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.76 है0 D-214 Jhunjan वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख–रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जाएंगे।
6. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंड़ों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
8. सरंक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगें।
9. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

Contnd. P/2

12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

14. संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

15. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

18. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना को सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार,

आर. डी. धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2021 Dated, Shimla-171001 the, 9 -03-2021

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA), O/o HPFD HQ Talland, Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Mandi, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.
6. DFO, Karsog Forest Division, Distt., Mandi, H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Karsog, Distt. Mandi, HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 9-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

पावती सं 5118
दिनांक 12/3/21

3408

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-3/2021 **Dated Shimla-171002, the** 9 **-03-2021**

Order

Sub:- **Diversion of 0.8448 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Link road from NH-21 Sabzi Mandi Bandrol to Village Kais (Km. 0/0 to 1/700), within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, H.P. (online no. FP/HP/Road/21088/2016)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8बी/एच.पी./06/54/2018/एफ.सी./2701 दिनांक 24/02/2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.8448** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :--

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
   क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1350 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 74 पेड़ों एवं 61 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
6. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंड़ों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
8. सरंक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।

Contnd. P/2

9. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

14. संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

15. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

18. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना को सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार,

आर. डी. धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Contnd. P/3

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2021 **Dated, Shimla-171001 the,** 9 **-03-2021**

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3 The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4 The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA), O/o HPFD HQ Talland, Shimla for similar necessary action.
5 The Deputy Commissioner, Kullu, Distt. Kullu, Himachal Pradesh.
6. DFO, Kullu Forest Division, Distt., Kullu, H.P.
7 The Ex-Engineer HPPWD Kullu, Distt. Kullu, HP
8 Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 9-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

****

प्र.मु.अ.प्र. (वन बल) हि.प्र.
पावती सं 5117
दिनांक 12/03/21

8/PCA